निर्णय बइजलस श्री चन्द्रप्रकाश वर्मा सहायक कलक्टर (**S.D.O.**) देवगढ़ जिला राजसमन्द

पं0सं0 84 / 2020 प्रा.पत्र

निर्णय दिनांक 12.08.2021

–:अनवान:–

1. राजमल पिता केसरीमल जाति जैन निवासी बरार तहसील भीम जिला राजसमन्द।

बनाम

2. राज्य सरकार जरियके प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द।

उपास्थित :–श्री नरेश जोशी वकील प्रार्थी,
विपक्षी सं0 1 तहसीलदार देवगढ़,

प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू.राजस्व अधि0

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र संक्षेप मे इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि प्रार्थी की भूमि ग्राम शक्करगढ पटवार हल्का मियाला तह0 देवगढ जिला राजसमन्द मे खातेदारी भूमि स्थित हैं जिसके पूर्व सेटलमेंट के खाता सं0 418, खसरा सं0 448/1, रकबा 3 बिघा 10 बिसवा, खसरा संख्या 448/4 रकबा 6 बीघा 13 विस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा स्थित है। उक्त भूमि में से आराजी सं0 448/1 में से 3 बीघा 6 बिस्वा भूमि गट्टू देवी को जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय कर दी गई है। प्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में 4 बिस्वा भूमि शेष है। आराजी सं0 448/4, रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा में से 4 विस्वा 10 विस्वान्सी बिलानाम दर्ज करा दी गई एवं उक्त भूमि को औघोगिक भू परिवर्तन करा दिया गया यानी प्रार्थी के पास 448/4 में अब रकबा 6 बिघा 13 विस्वा मे से 4 विस्वा 10 विस्वान्सी कमी की जाकर शेष 6 बिघा 8 विस्वा 10 विस्वान्सी रहती है। जो भूमि रास्ते में बिलानाम के रूप में दर्ज हुई उसके आराजी नम्बर 448/14 है एवं 448/4 में से ही 9 विस्वा भूमि का रूपान्तरण करवाया गया जिसके नये आराजी नम्बर 448/15 हुए। प्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में 5 बिघा 19 बिस्वा 10 विस्वान्सी भूमि शेष है। प्रार्थी पुराने सेटलमेन्ट के नक्शे के आधार पर अपने हक हकुक के साथ काबीज है एवं भूमि का उपभोग कर रहा है। अभी जो नये सेटलमेन्ट में आराजी नं. 448/1 व 448/4 का नया नम्बर क्रमशः 664, एवं 666 हुए है। लेकिन मौके पर जो नया नक्शा ट्रेश सेटलमेन्ट विभाग द्वारा जारी किया गया है, उक्त नक्शा ट्रेश , पूर्व नक्शा ट्रेश सेटलमेन्ट विभाग द्वारा जारी किया गया है, उक्त नक्शा ट्रेश, पुर्व नक्शा ट्रेश व मौका हालात के विपरित है। इस प्रकार पूर्व नक्शा ट्रेश व मौका हालात से वर्तमान नक्शा ट्रेश बिल्कुल विपरित व भिन्न है जिसे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। वर्तमान नक्शा ट्रेश में भूमि की लम्बाई चौडाई व दिशाएं भी पूर्व नक्शा ट्रेश व मौका हालात से भिन्न है। वर्तमान सेटलमेन्ट विभाग द्वारा जारी नक्शा ट्रेश, मौका स्थिति के हालात व पूर्व नक्शा ट्रेश के विपरित होने से भूमि के भविष्य के भू रूपान्तरण/उपयोग में परेशानी होने के साथ ही पडोसी भूमि धारकों से भी अनावश्यक विवाद होने की पूर्ण सम्भावना उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार मौके पर अनावश्यक विवाद होने के साथ अनावश्यक रूप से मुकदमें बाजी बढ़ने की परिस्थिति बन गई है। इसलिये नये नक्शे में दुरस्ती करना आवश्यक है। पूर्व नक्शा ट्रेस को दुरस्त व सही किया जाना आवश्यक है। इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं।

अतः प्रार्थी की प्रार्थना है कि धारा 136,131 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर वर्तमान नक्सा ट्रेस में त्रुटि हैं, को विशुद्ध किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को मय नकल प्रार्थना पत्र के संबंध जारी किये गये। प्रत्युतर जवाब शामिल किया गया। मौका कमीशनर रिपोर्ट तैयार कर जो पेश की उसे शमिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया की वाद ग्रस्त आराजीयात को सेटलमेंट विभाग द्वारा भारी भुलकर तरमीम पुर्व नक्शा अनुसार व हालात अनुसार ~~नहीं करके~~ नहीं की गई हैं जिसे परिवर्तन किया जाना न्याय हित में आवश्यक हैं, जबकी प्रार्थी का पूर्व तरमीम अनुसार कब्जा हैं तथा भूमि का संपरिर्वतन किया जा चुका है। अतः सेटलमेंट की त्रुटि का शुद्धिकरण किया जाकर तरमीम शुद्ध की जावे। विपक्षी तहसीलदार देवगढ़ ने बहस में निवेदन किया की वाद ग्रस्त आराजीयात में वर्तमान सेटलमेंट के समय परिवर्तन हुआ है तथा प्रार्थी के अनुतोष अनुसार तरमीम शुद्धि की जावे तो कोई आपत्ति नहीं है किन्तु कुल बिलानाम भूमि में कोई कमी नहीं की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्द दस्तावेजों, मौका कमीशनर रिपोर्ट, आंवटन नामान्त्रण पूर्व व वर्तमान, वर्तमान व पूर्व राजस्व नक्शा, जमाबंदी तथा विपक्षी तहसीलदार देवगढ़ के जवाब का अवलोकन किया गया।

समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र में नियमानुसार संक्षिप्त ट्रायल पूर्ण होने पर यह आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में सेटलमेंट द्वारा की गई त्रुटि का शुद्धिकरण किया जाकर पूर्व रिकार्ड अनुसार रकबा व कब्जे अनुसार तरमीम शुद्धि की जावे एवं ध्यान रखा जावे की बिलानाम राजकीय भूमि में कोई कमी नहीं हो।

तदानुसार तहसीलदार देवगढ़ को निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर देवगढ़
जिला राजसमन्द